संख्या– /उन्तीस(2)/2025–2(96पे0)/2016

प्रेषक,

अपूर्वा पाण्डेय,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक नवम्बर, 2025

विषय :– वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य सैक्टर (नगरीय) के अन्तर्गत चालू कार्यो हेतु अवशेष धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–495/नियोजन अनुभाग/वि0 एवं भौ0 प्रगति/19 दिनांक 06.11.2025, संख्या–491/नियोजन अनुभाग/धनावंटन प्रस्ताव/17 दिनांक 31.10.2025, संख्या–404/नियोजन अनुभाग/धनावंटन प्रस्ताव/13 दिनांक 08.09.2025 एवं संख्या–445/नियो0अनु0–उपयोगिता प्रमाण पत्र/12 दिनांक 24.09.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर नगरीय के अन्तर्गत विभिन्न शासनादेशों द्वारा स्वीकृत/निर्माणाधीन 09 पेयजल/जलोत्सारण योजनाओं के कार्य सम्पादित करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025–25 में संलग्न तालिका के कॉलम–06 के अनुसार ₹ 1569.65 लाख (₹ पन्द्रह करोड़ उनहतर लाख पैंसठ हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके इसी वित्तीय वर्ष में आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) उक्त कार्य/योजना की जी0आई0एस0 मैपिंग आवश्यक रूप से की जाय।

(iii) योजना हेतु स्वीकृत लागत के सापेक्ष निविदा उपरान्त सफल निविदादाता से किये गये अनुबन्धानुसार वास्तविक व्यय के आधार पर धनराशि व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत लागत के सापेक्ष व्यय के फलस्वरूप यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो अवशेष बचत धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा।

(iv) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2026 तक पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।

(v) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आवंटन में उन योजनाओं जिनमें कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति 80 प्रतिशत से अधिक हो अथवा कार्य पूर्ण होनें की स्थिति में है, को वरीयता दी जाय।

(vi) योजनावार/कार्यवार अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष प्रत्येक योजना का वित्तीय /भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(vii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का योजनावार आवंटन एवं व्यय योजना की अनुमोदित लागत की सीमा तक ही किया जाय। योजना की अनुमोदित लागत से अधिक आवंटन कदापि न किया जाय।

(viii) उक्तानुसार चालू योजनाओं पर धनावंटन/व्यय करने के निमित्त योजना की स्वीकृति सम्बन्धी मूल शासनादेश में निहित अन्य समस्त शर्तो यथालागू का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक 4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–01–जलपूर्ति–101–शहरी जलपूर्ति–03–नगरीय पेयजल–01–नगरीय पेयजल/जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण–53–वृहद् निर्माण मद के नामें डाला जायेगा।

3– धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को संलग्न कम्प्यूटर आवंटन आई0डी0 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या–I/287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1)/2025 दिनांक 31.03.2025 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–I/287566/E-79713/09(150)2019/ XXVII(1)/2025 दिनांक 31.03.2025 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीया,

Digitally signed by
Apurva Pandey
Date: 05-12-2025
11:21:18

(अपूर्वा पाण्डेय)
अपर सचिव।

पृ0सं0– (1)/उन्तीस(2)/2025–2(96पे0)/2016 तददिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूँ, पौड़ी/नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून।
6. बजट निदेशालय, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–02, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
9. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

Digitally signed by
Vivek Kumar Jain
Date: 05-12-2025
11:44:03

(विवेक कुमार जैन)
उप सचिव।